वाद संख्या-130/2017
मु.अ.सं.-508/2016
सरकार बनाम निर्मल सिंह
थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

UPHP120004942017

Presented on : 31-03-2017
Registered on : 31-03-2017
Decided on : 02-07-2026
Duration : 9 years, 3 months, 2 days

**IN THE COURT OF**
**Civil Judge Junior Division**
**AT Garhmukteshwar,Hapur**
**(Presided Over by SMT. PARUL KUMARI)**

**CRI. CASE/148/2017**

**सरकार**

**.....(वादी)**

**बनाम**

**1. निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह**

**निवासी रामपुर न्यामतपुर, थना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश।**

**.....(अभियुक्त)**

वाद संख्या–130/2017

मु०अ०सं०– 508/2016

अंतर्गत धारा– 279, 304A भा.दं.सं.

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

| **घटना की तिथि** | **अदम परिवाद** |
|---|---|
| आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि | 30.03.2017 |
| न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि | 30.03.2017 |
| अभियोग अपराध की धारा | 279, 304A भा.दं.सं. |
| अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि | 12.10.2021 |
| अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि | 01.07.2026 |
| **निर्णय तिथि** | **02.07.2026** |
| **विचारण का परिणाम** | **दोषमुक्त** |

वाद संख्या-130/2017
मु.अ.सं.-508/2016
सरकार बनाम निर्मल सिंह
थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

**<u>निर्णय</u>**

1. प्रस्तुत वाद का विचारण वादी मुकदमा इंद्रजीत सोलंकी पुत्र बलदेव सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 508/2016, अन्तर्गत धारा– 279, 304A भा.दं.सं. में अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र सं० 03/2017 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनांक 07.12.2016 समय करीब 05.30 बजे शाम मेरा भतिजा विनीत S/० जसवंत सिंह जाती राजपूत निवासी रामपुर न्यमातपूर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ उम्र करीब 26 वर्ष अपने परिचित रामदत पुत्र ओमकार निवासी कुदैनी की मढैया के साथ उसकी मोटरसाईकिल CD Delux रंग काला Hero Honda चलाते हुये सिन्हा साहब के फार्म से काम करके अपने घर लौट रहा था। जैसे ही मोटरसाईकिल अवतार सिंह पुत्र बिरसा सिंह के घर के पास सडक पर आई विपरित दिशा में निर्मल सिंह S/० गिरदेवार सिंह निवासी शाकरपूर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद (हापुड) का मैसी टैक्टर फरगुसन 241 DI में ट्राली जिसे चालक मलखान S/० मीर सिंह निवासी मौ० शाकरपुर द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुये मेरे भतीजे विनीत की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी टक्कर लगने के कारण विनीत के शरीर में गंभीर चोटे आने के कारण अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। ट्रैकटर चालक के बारे में मुझे बिजेन्द्र S/० करतार सिंह व बलकार S/० राम सिंह निवासी रामपुर न्यामतपुर मे घटे घटना की सुचना मुझे दी मैं मौके पर पहुँचा।।"

3. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा 508/2016, अं०धारा 279, 304A भा.दं.सं. में अभियुक्त मलखान पुत्र मीर सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा मौके का नक्शा–नजरी तैयार किया गया एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये एवं बाद तमामी विवेचना विवेचक द्वारा मलखान पुत्र मीर सिंह की गलत नामजदगी पाते हुए अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र सं० 03/2017, अं०धारा 279, 304A भा.दं.सं. में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त उपस्थित आया तथा अभियुक्त ने अपनी जमानत करायी।

5. अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयी तथा अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह के विरूद्ध धारा– 279, 304A भा.दं.सं. में दिनांक 12.10.2021 को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षियों को परीक्षित

कराया है–

| क्रम सं० | अभियोजन साक्षियों के नाम | पी०डब्लू० | कागज सं०/नाम | प्रदर्श |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इंद्रजीत सोलंकी पुत्र बलदेव सिंह | पी०डब्लू०–1 | तहरीर | क–1 |
| 2. | मंगत सिंह पुत्र सुभाषचन्द | पी०डब्लू०-2 | | |
| 3. | पतराम पुत्र कृपाल सिंह | पी०डब्लू०-3 | पंचनामा | क-2 |
| 4. | धर्मपाल पुत्र निरंजन | पी०डब्लू०-4 | | |
| 5. | बलकार उर्फ बाले पुत्र रामसिंह | पी०डब्लू०-5 | | |

7. अभियोजन द्वारा अन्य साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत न करने हेतु आदेश पत्रक पर पृष्ठांकित किया गया तथा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर, आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी पत्रावली पर दाखिल किया है। तहरीर को वादी द्वारा सिद्ध किया गया। अन्य प्रपत्रों को किसी भी साक्षी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया।

9. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक **01.07.2026** को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया एवं गवाहों द्वारा झूठी गवाही देना कहा तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

10. **अभियोजन अधिकारी उपस्थित।** उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

11. प्रश्नगत् मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–279, 304A भा.दं.सं. को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 2467 व दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2009 (67) ए०सी०सी० सुप्रीम कोर्ट पेज 737** में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **इंद्रजीत सोलंकी पुत्र बलदेव सिंह सिंह** को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक 07.12.2026 समय 05 से 06 बजे के बीच मेरा भतीजा अपनी मोटरसाइकिल से सिन्हा फार्म हाउस से काम करके घर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक मैसी ट्रेक्टर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। मेरे भतीजे विनीत को दुर्घटना में गंभीर चोंटे आयीं। अस्पताल ले जाते समय विनीत की रास्ते में मृत्यु हो गयी। दुर्घटना होते हुए मैंने नहीं देखा था। जानकारों ने मुझे सूचना दी थी। मैं मौके पर पहुंचा था। वहां भीड़ के बताये अनुसार मैंने तहरीर लिखा दी थी। किस वाहन व किस चालक द्वारा टक्कर मारी गयी थी, मैंने देखा नहीं था। दरोगा जी मुझे घटनास्थल पर नक्शा नजरी के लिए नहीं ले गये थे। दरोगा जी ने मेरा ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है।'' **गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

13. गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि दरोगा जी ने मेरा ऐसा कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि निर्मल सिंह द्वारा मेरे भतीजे विनीत की मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुए मैंने नहीं देखा थां मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। लोगों द्वारा सूचना दिये जाने पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा था। लोगों के बताये अनुसार तहरीर लिखा दिया था। यह कहना गलत है कि आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।''

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **मंगत सिंह पुत्र सुभाषचन्द** को बतौर पी०डब्लू० 02 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक 07.12.2016 को समय 05 या 06 बजे की बीच विनीत फार्म हाउस से घर वापस आ रहा था। रास्ते में किसी वाहन द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गयी थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैंने घटना होते नहीं देखी। घटना के बारे में गांव वालों से सुना था। किस वाहन व किस चालक ने टक्कर मारी मैंने देखा व पहचाना नहीं है। दरोगा जी ने मेरा ऐसा कोई बयान नहीं लिया है।'' **साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

15. गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि दरोगा जी ने मेरा ऐसा कोई बयान नहीं लिया। यह कहना सही है कि निर्मल सिंह द्वारा विनीत की मोटरसाइकिल में टक्कर मारते नहीं देखा। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम से मिलकर झूठी गवाही दे रहा हूं।''

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **पतराम पुत्र कृपाल सिंह** को बतौर पी०डब्लू० 03 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक 07.12.2016 समय करीब 05.30 बजे के बीच विनीत फार्म हाउस से घर वापस आ रहा था। किसी अज्ञात वाहन ने रास्ते में वाहन द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसकी उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैंने घटना होते हुए नहीं देखी। घटना के बारे में गांव वालों से सुना था। मृतक विनीत का पंचनामा मेरे सामने हुए था। हम पंचों की राय में मृत्यु दुर्घटना में आयी चोंटों की वजह से हुयी थी। पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी। पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।''

17. उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि ''पंचनाम अस्पताल में हुआ था। सूचना पर मौके पर गया था। मैंने मौके पर कोई ट्रेक्टर नहीं देखा था, जिस समय पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे, पुलिस के कहने पर किये थे। उसमें कुछ लिखा था। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी, न ही कोई बयान लिया था। यही मेरा बयान है।''

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **धर्मपाल पुत्र निरंजन** को बतौर पी०डब्लू० 04 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक 07.12.2016 को हमारे गांव के विनीत की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी थी। दुर्घटना किस वाहन से हुयी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। विनीत के चाचा ने लोगों के बताये अनुसार मुकदमा पंजीकृत कराया

था। हाजिर अदालत अभियुक्त निर्मल सिंह को मैंने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते व विनीत को टक्कर मारते नहीं देखा।'' **साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

19. गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि पुलिस ने मुझसे कभी पूछताछ नहीं की, कैसे यह बयान लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियुक्त से मिल जाने से सही बात न बता रहा हूं।''

20. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **बलकार उर्फ बाले पुत्र रामसिंह** को बतौर पी०डब्लू० 05 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक 07.12.2016 को समय करीब शाम 06 बजे जब मैं अवतार सिंह के घर के पास से गुजरा मैंने सड़क के किनारे काफी भीड़ देखी। पास जाकर देखने पर हमारे गांव के इंद्रजीत सोलंकी का भतीजा विनीत घायल अवस्था में पड़ा था। दुर्घटना काफी पहले ही हो चुकी थी। मैंने दुर्घटना करने वाले वाहन को न देखा, न ही दुर्घटना देखी। हाजिर अदालत अभियुक्त को ट्रैक्टर चलाकर टक्कर मारते नहीं देखा और न ही कभी मैंने इन्द्रजीत को किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने वाली बात नहीं बताई।'' **साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

21. गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि पुलिस को ऐसा बयान नहीं दिया, कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि झूठी गवाही दे रहा हूं।''

22. प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी.डब्लू.–01, जो कि उक्त मुकदमे की वादी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि **"किस वाहन व किस चालक द्वारा टक्कर मारी गयी थी, मैंने देखा नहीं था।"** उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

23. पी.डब्लू.–02 के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि **''मैंने घटना होते नहीं देखी। घटना के बारे में गांव वालों से सुना था।''** उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

24. पी.डब्लू.–03 के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि **''किसी अज्ञात वाहन ने रास्ते में वाहन द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसकी उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैंने घटना होते हुए नहीं देखी। घटना के बारे में गांव वालों से सुना था''** तथा उक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में भी कथन किया गया है कि ''**सूचना पर मौके पर गया था। मैंने मौके पर कोई ट्रेक्टर नहीं देखा था, जिस समय पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे, पुलिस के कहने पर किये थे।''**

25. पी.डब्लू.–04 के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि **''दुर्घटना किस वाहन से हुयी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं मौके पर नहीं था।''** उक्त

साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

26. पी.डब्लू.–05 के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि **''मैंने दुर्घटना करने वाले वाहन को न देखा, न ही दुर्घटना देखी। हाजिर अदालत अभियुक्त को ट्रैक्टर चलाकर टक्कर मारते नहीं देखा।''** उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

27. पी०डब्लू० 01, पी०डब्लू०–02, पी०डब्लू०–03, पी०डब्लू०–04 व पी०डब्लू०–05 ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी के बयानों में पूर्णतः विरोधाभास है जो कि मामले को संदिग्ध बनाते है। किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी हो।

28. अभियोजन द्वारा अन्य किसी भी स्वतंत्र या ठोस साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध नहीं होता हो कि उक्त घटना अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी है।

29. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया गया। अतः अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौलिक साक्ष्य से अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

30. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3678*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपना केस निश्चितता से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी है।''

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***हरवीर सिंह बनाम शीशपाल एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 4958*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोश सिद्ध करने के लिए सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नही बदलता।''

32. उपरोक्त की गयी परिचर्चा तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था 2017 (1) सुप्रीम कोर्ट 129 भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत से सुसंगत है। **"It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the**

**accused is entitled to the benefit of reasonable doubt".**

33. अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। निष्कर्षतः अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–279, 304A भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **निर्मल सिंह पुत्र गिरदावर सिंह** निवासी रामपुर न्यामतपुर, थना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश को **वाद संख्या 130/2017, मु०अ०सं० 508/2016, सरकार बनाम निर्मल सिंह, अंतर्गत धारा–279, 304A भा.दं.सं., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानतनामे तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को अभियुक्त की जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अं०धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे एवं अभियुक्त इस आशय का 25,000/– रुपये का एकक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि का एक जमानती दाखिल होंगे। यह बन्धपत्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक –02.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक –02.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।



Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court